बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 338939 पटना, दिनांक 23/11/17

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(BISPSP)-102-92/2017

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **विश्व बैंक संपोषित बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (Bihar Integrated Social Protection Strengthening Project) (BISPSP) से सम्बद्ध लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) का मानदेय इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रशासनिक मद से भुगतान के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-327068 दिनांक-08.09.17 एवं 332334 दिनांक 10.10.17

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत संविदा पर नियोजित लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) को Tally Accounting (Tally ERP 9.0) के प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं की सेवाएँ बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (Bihar Integrated Social Protection Strengthening Project) (BISPSP) से सम्बद्ध किये जाने तथा उनके मानदेय का भुगतान के संबंध में विभागीय प्रासंगिक पत्रों के द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये जा चुके हैं, फिर भी कुछ जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार इनके मानदेय भुगतान के संबंध में जिलों में दुविधा की स्थिति के कारण मानदेय का भुगतान लंबित है ।

उपर्युक्त स्थिति में विभागीय निर्णय के आलोक में सभी जिलों को पुन: स्पष्ट किया जाता है कि इंदिरा आवास योजना के वैसे लेखा सहायकों जिन्हें BISPSP योजना में सम्बद्ध किया गया है का मानदेय माह अगस्त 2017 से BISPSP योजना से राज्य स्तर से HRMS Software के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा तथा माह जुलाई 2017 तक यदि इन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया हो तो तत्काल कार्य अवधि के आधार पर इंदिरा आवास योजना मद से लेखा सहायक के लिए निर्धारित मानदेय प्रतिमाह 9,500 रूपये की दर से जिलों में इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रशासनिक मद की उपलब्ध निधि से भुगतान किया जायेगा । यदि किसी जिला को इस निमित्त अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो तो विभाग को एतद् संबंधी अधियाचना उपलब्ध करायेंगे ।

विश्वासभाजन

23/11/17

(राहुल रंजन महिवाल)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 338939 पटना, दिनांक 23/11/17

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/11/17

सरकार के अपर सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2019.doc